

डिक्री वमुकदमें ईत्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :-88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 78/2023

दिनेश कुमार पुत्र श्री मोहनलाल जाति जाट नि.लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

वनाम

वादी

1. मोहनलाल पुत्र श्री कालुराम जाति जाट नि. लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. कमला देवी पत्नी श्री मोहनलाल जाति जाट नि.लीलावाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. कुलविन्द्र कौर पत्नी श्री गुरविन्द्र सिंह जाति जटसिख नि. 2 के.के.डब्ल्यू. नवां तह. व जिला हनुमानगढ़
4. एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा संगरिया जरिए शाखा प्रबंधक
5. भारतीय स्टेट बैंक शाखा लीलावाली जरिए शाखा प्रबंधक
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया

जगदीश पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी वार्ड नं. 26 संगरिया

दिनेश कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट साकिन बोलावाली तहसील संगरिया

यह राजस्व वाद आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री हनुमन्त चौधरी एडवोकेट व मिन जाति मुदायला प्रति सं. 1 ता 3, 5, 7, 8 श्री संजय साहेवाल, विवेकानन्द गुजर एडवोकेट एवं राज प्रोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि :- वादी के नाम चक 6 एमएमके के खाता संख्या 83/16 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में दर्ज 1.138 है. अर्थात 4 बीघा 10 बिस्वा अराजी का प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को मुताबिक बैयनामा खातेदार काशतकार घोषित कर वादी का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा निम्नानुसार प्रतिवादीगण का खाता अलग-अलग कायम किये जाने कि आदेश दिये जाते है:-

1. प्रतिवादी सं. 1 मोहलाल पुत्र श्री कालुराम जाति जाट निवासी लीलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक हिस्सा व कब्जाकशत की कृषि भूमि:- चक 6 एमएमके खाता सं. 83/16 जमाबंदी सं. 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/202	7	24/0.051 है., 25/1/0.063 है.
148/203	9	4/1/0.228 है. 4/2/0.025 है 5/1/0.228, 5/2/0.025 है. गै.मु.खाला 6,7/0.253 है.प्र.
147/206	35	22/1/0.061 है.
147/206	36	2/0.253 है. 9/0.076 है.

2. प्रतिवादी संख्या 2 कमला देवी पत्नी मोहन लाल जाति जाट निवासी लीलावाली की कब्जा काशत की भूमि :- चक 6 एमएमके खाता सं. 83/16 जमाबंदी सं. 2070-73

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
147/207	36	3/0.127 है. 9/0.177 है. 12/0.253 है, 19/0.253 है. 21/0.114 है. 21/2/0.013 है. गै.मु. रास्ता 22/1/0.240 है. 22/2/0.013 है. गै.मु. रास्ता


3. प्रतिवादी संख्या 3 कुलविन्द्र कौर पत्नी गुरविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 2 केकेडब्ल्यू नवा तहसील व जिला हनुमानगढ़ की कब्जा काशत की भूमि :- चक 6 एमएमके खाता सं. 83/16 जमाबंदी सं. 2070-73

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
147/207	36	20/0.253 है. 21/1/0.126 है. उत्तरी दिशा में किला नं. 20 के साथ चिपता हुआ।

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

4. प्रतिवादी संख्या 7 जगदीश चन्द्र पुत्र श्री गणपत राम जाति जाट निवासी संगरिया 0.759 है. कृषि भूमि व प्रतिवादी संख्या 8 सज्जन कुमार पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी बोलावाली 0.380 है. कृषि भूमि की संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि :- चक 6 एमएमके खाता सं. 83/16 जमावंदी सं. 2070-73

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
147/207	36	3/0.126 है. 8/0.253 है. 13/0.253 है. 18/0.253 है. 23/1/0.240 है. 23/2/0.013 है. गै.मु. रास्ता



नोट - यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋषि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत निल 100 खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 5.5.2018 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
महायुक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अदालत
संगरिया